संख्या-92/2025/679/ 001-23-6099-099-59-2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक** 07 **मार्च**, 2025

विषय: धर्मार्थ योजनान्तर्गत जनपद पीलीभीत, चित्रकूट(2), सोनभद्र, अमेठी, उन्नाव(2), हाथरस, लखीमपुरखीरी, देवरिया, बरेली, बदांयू के 12 मार्गों के चौडीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नांकित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्र0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	2602नि0/106-01नि0/24-25 दि0 03-01-2025
2	1130नि0/125-02नि0/24-25 दि0 29-10-2024
3	2263नि0/150-01नि0/24-25 दि0 06-12-2024
4	2652नि/136-01नि0/24-25 दि0 07-01-2025
5	2433नि0/128-01नि0/24-25 दि0 12-12-2025
6	2513नि0/102-02नि0/24-25 दि0 06-01-2025
7	2519नि0/128-01नि0/24-25 दि0 06-01-2025
8	2408नि0/129-09नि0/24-25 दि0 11-12-2024
9	2337नि0/136-01नि0/24-25 दि0 06-12-2024
10	2437नि0/108-01नि0/24-25 दि0 12-12-2024
11	252नि0/125-02नि0/24-25 दि0 29-10-2024
12	2455नि0/107-01नि0/24-25 दि0 13-12-2024

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद पीलीभीत, चित्रकूट(2), सोनभद्र, अमेठी, उन्नाव(2), हाथरस, लखीमपुर खीरी, देवरिया, बरेली, बदांयू के 12 मार्गों के चौडीकरण/सुदृढीकरण के कार्य की विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2984.39 लाख (रूपये उनतीस करोड चौरासी लाख उन्तालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत लागत के सापेक्ष रू0 2387.51 लाख (रूपये तेईस करोड सत्तासी लाख इक्यावन हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रं0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत	प्रस्तावित धनावंटन
1	2	3	4	5
1	पीलीभीत नि0ख0-1	धर्मार्थ् योजना के अन्तर्गत प्राचीन देवस्थल एवं सरोवर लिलहर में चौडीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	470.44	376.35
2	चित्रकूट प्रा0ख0	जनपद चित्रकूट में खोही से लक्षमण पहाडी सम्पर्क मार्ग तक निर्माण कार्य।	226.55	181.24
3	सोनभद्र प्रान्तीय खण्ड	चोपन मध्य प्रदेश बार्डर के किमी0-04 से अति प्राचीन एवं पर्यटन के दृष्टिगत गोठानी शिव मन्दिर मार्ग का 02 लेन में चौडीकरण का कार्य।	293.78	235.02
4	अमेठी प्रा0ख0	मुसाफिरखाना-धरौली-नन्दौर-मठा रामपुर-मझगवा-पलिया-चन्दापुर मार्ग के चैनेज 1.70 से 1.90 तक चौडीकरण एवं चैनेज 1.90 से 2.80, 13.10 से 13.20 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य(महावीरन मन्दिर ग्राम धरौली चन्दापुर मार्ग पर चन्दापुर ग्राम के पास तक)।	190.26	152.21
5	उन्नाव प्रा0ख0	राजाराव बक्श सिंह मार्ग चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	358.40	286.72
6	हाथरस प्रा0ख0	बिसाना से तारागढ माता मन्दिर तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	238.81	191.05
7	उन्नाव प्रा0ख0	मोहनलालगंज मौरावा उन्नाव मार्ग से बिल्लेश्वर मन्दिर सम्पर्क मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	464.70	371.76

http://shasanadesh.up.gov.in

8	लखीमपुरखीरी नि0ख0-1	बिलराया पनवारी राज्य मार्ग सं0-21 के किमी0 68 से मेढक मन्दिर तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	380.27	304.22
9	देवरिया प्रा0ख0	जनपद देवरिया में भटनी बाजार जलपा माता मन्दिर सम्पर्क मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	116.35	93.08
10	बरेली नि0ख0-1	जनपद बरेली के भमौरा-शाहबाद-बिलारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-125) से अहिच्छत्र रामनगर किला एवं थीम पार्क सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	104.23	83.38
11	चित्रकूट प्रा0ख0	जनपद चित्रकूट में शिवरामपुर खोही अन्य जिला मार्ग (मुनगी तिराहा) से मध्य प्रदेश की सीमा (पीली कोठी) तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	94.70	75.76
12	बदांयू/निर्माण खण्ड-2	बदांयू बरेली मार्ग से कछला गंगाघाट होते हुए अन्त्येष्टि स्थल तक (कासगंज की ओर) मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	45.90	36.72
		योग	2984.39	2387.51

(रुपये तेईस करोड सत्तासी लाख इक्यावन हजार मात्र)

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नतगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्डा-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यशवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त् कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021510/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार स्वीकृति की जा रही प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रयोजनान्तर्गत युटिलिटी शिफ्टिंग हेतु आंकलित/अनुमोदित लागत से सम्बन्धित कार्यो का विभाग द्वारा स्वयं सत्यागपन करते हुये न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर शिफिटंग का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौडाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण आई0आर0सी0/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग / कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(6) प्रायोजनान्तंर्गत कार्य में पुल/पुलियों का इक्सटेंशन-तथा नाला-नाली आदि का निर्माण का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की सम्भावना के दृष्टिगत मार्ग के संरेखण में आने वाले पक्के स्ट्रक्चगर(पुल/पुलिया/नाली इत्यादि) का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों में पूर्व निर्धारित फारमेशन विडथ(चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाय।

(7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यपक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत कार्य की द्विरावृत्ति(डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्त्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रयोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहंरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(12) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75,दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्रातियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(14) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(15) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में निहित प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्व-रूप वस्क्ा से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी0-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बवन्धो में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्थान/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जायेगा।

(18) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 23,87,51,000 (रुपये तेईस करोड़ सत्तासी लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371100 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-799-X-2024-25 दिनांक: 28-02-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

शिव कुमार

अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

6-सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11-सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12-वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14-अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15-लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ0प्र0 शासन।
16-नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in